संख्या- 67/1899/24-1-14-54पी/02टीसी-1

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 अगस्त, 2014

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 629/म0प्र0वित्त/विप्र-2/253/आय-व्ययक/2014-15, दिनांक 22.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 39,00,00,00,000/- (रूपये तीन हजार नौ सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-40/799/24-1-14-54पी/02 टी0सी0-1 दिनांक 07.04.2014 द्वारा रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र), शासनादेश संख्या-44/849/24-1-14-54पी/02 टी0सी0-1 दिनांक 28.04.2014 द्वारा रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) शासनादेश संख्या-48/1142/24-1-14-54पी/02 टी0सी0-1 दिनांक 30.05.2014 द्वारा रूपये 250,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) एवं शासनादेश संख्या-51/1317/24-1-14-54पी/02 टी0सी0-1 दिनांक 06.06.2014 द्वारा रूपये 150,00,00,000/- (रूपये एक सौ पचास करोड़ मात्र), शासनादेश संख्या-57/1611/24-1-14-54पी/02 टी0सी0-1 दिनांक 24.07.2014 द्वारा रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र), शासनादेश संख्या-62/1705/24-1-14-54पी/02 टी0सी0-1 दिनांक 01.08.2014 द्वारा रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) एवं शासनादेश संख्या-66/1807/24-1-14-54पी/02 टी0सी0-1 दिनांक 13.08.2014 द्वारा रूपये 100,00,00,000/- (रूपये सौ करोड़ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 25,00,00,00,000/- (रूपये दो हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अब अवशेष धनराशि रूपये 14,00,00,00,000/- (रूपये एक हजार चार सौ करोड़ मात्र) में से रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण दिनांक 01 सितम्बर, 2014 के पूर्व नहीं किया जायेगा तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान- आयोजनेत्तर-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई- 10 - यू0 ओ0-138/दस-2014, दिनांक 27 अगस्त, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 67/1899(1)/24-1-14, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in